

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 268]
No. 268]

नई दिल्ली, सोमवार, जून 9, 2003/ज्येष्ठ 19, 1925
NEW DELHI, MONDAY, JUNE 9, 2003/JYAISTHA 19, 1925

विधि और न्याय मंत्रालय

(विधि कार्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 जून, 2003

सांकांनि० 467(अ).—केन्द्रीय सरकार, नोटेरी अधिनियम, 1952 (1952 का 53) की धारा 15 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नोटेरी नियम, 1956 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम नोटेरी (संशोधन) नियम, 2003 है।
- (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
2. नोटेरी नियम, 1956 में, उनसे संलग्न फॉर्म IIख में, "सचिव, भारत सरकार/ (राज्य का नाम) सरकार" शब्दों और कोष्ठक के स्थान पर "भारत सरकार के संयुक्त सचिव/ (राज्य का नाम) सरकार के सचिव" शब्द और कोष्ठक प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

[पत्र० सं० 5(187)/2003-एन०सी०]

ब्रह्म अय्यर अग्रपाल, संयुक्त सचिव एवं विधि सलाहकार

टिप्पणी : मूल नियम कांनि०आ० 324, तारीख 14 फरवरी, 1956 के तहत प्रकाशित किए गए थे और पर्याप्त संशोधन सांकांनि० 370(अ), तारीख 8 जुलाई, 1997, सांकांनि० 547(अ), तारीख 31 अगस्त, 1998, सांकांनि० 17(अ), तारीख 5 जनवरी, 2000, सांकांनि० 262(अ), तारीख 28 मार्च, 2000, सांकांनि० 630(अ), तारीख 21 जुलाई, 2000, सांकांनि० 172(अ), तारीख 12 मार्च, 2001, सांकांनि० 330(अ), तारीख 9 मई, 2001 और सांकांनि० 460(अ), तारीख 25 जून, 2001 द्वारा किए गए।

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE**(Department of Legal Affairs)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 9th June, 2003

G.S.R. 467(E).—In exercise of the powers conferred by Section 15 of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Notaries Rules, 1956, namely:—

1. (1) These rules may be called the Notaries (Amendment) Rules, 2003.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Notaries Rules, 1956, in Form IIB appended thereto, for the words and brackets "Secretary to the Government of India/Government of (Name of the State)", the words and brackets "Joint Secretary to the Government of India/Secretary to the Government of (Name of the State)" shall be substituted.

[F. No. 5(187)/2003-NC]

BRAHM AVTAR AGRAWAL, Jt. Secy. & Legal Adviser

Note : The principal rules were published in the Gazette of India, *vide* S.R.O. 324, dated 14-2-1956 and subsequently amended by G.S.R. 370(E), dated 8-7-1997, G.S.R. 547(E), dated 31-8-1998, G.S.R. 17(E), dated 5-1-2000, G.S.R. 262(E), dated 28-3-2000, G.S.R. 630(E), dated 21-7-2000, G.S.R. 172(E), dated 12-3-2001, G.S.R. 330(E), dated 9-5-2001 and G.S.R. 460(E), dated 25-6-2001.